संo–   / ।।(2)/2021–03(69)/2015टी0सी0

प्रेषक,

एस0ए0 मुरूगेशन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2   देहरादून, दिनांक 30 जून, 2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) मद में निर्माणाधीन नहर निर्माण योजनाओं (वृहद निर्माण मद संख्या–53) हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–175/प्र0अ0/बजट/बी–1(सामान्य), दिनांक 08.06.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहर निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु **₹ 52.94 लाख (रू0 बावन लाख चौरानवे हजार मात्र)** की धनराशि, योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–272/।।(2)/2021–03(69)/2015टी0सी0, दिनांक 08.02.2021, शासनादेश संख्या–2198/।।(2)/2020–03(69)/2015, दिनांक 27.11.2020, शासनादेश संख्या–49/।।(2)/2021–04(56)/2020, दिनांक 07.01.2021 एवं शासनादेश संख्या–161/।।(2)/2020–03(69)/ 2015टी0सी0, दिनांक 03.02.2020 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

3– योजनाओं पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि को योजनावार फांट कर आवश्यकतानुसार आवंटित किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4700–06–001–02–00–53 के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–292/09(150)/2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31.03.2020, शासनादेश सं0–880/09(150)/2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 21.10.2020, शासनादेश संख्या–1042/09(150)2019/XXVII(1)/2020,दिनांक 07.12.2020, शासनादेश संख्या–423/9(150)2019/XXVII(1)/2021, दिनांक 31.03.2021 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक– **Allotment ID**</u>

भवदीय,

/

(एस0ए0 मुरूगेशन)
सचिव।

LETTER 2018-19.docx 13.docx   3

संख्या– 432 (1)/ ।।(2)/2021–03(69)/2015टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।

2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।

3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।